

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 298/2023

GCMS No. 2023/208

राजेन्द्र कुमार पुत्र झुंधाराम जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर
जिला झुंझुनू

—प्रार्थी

बनाम

1. सुमन कुमारी पत्नी अमित कुमार भूरिया जाति मेघवाल निवासी खीदरसर तन देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू।
2. विद्याधर पुत्र मनसा जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. रामनिवास पुत्र मनसा जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. सहीराम पुत्र मनसा जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5. राकेश पुत्री मनसा पत्नी उम्मेद जाति मेघवाल निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6. पंकज कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
7. रवि कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8. शारदा पत्नी ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
9. मनीराम पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी हनुतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी — श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी —

निर्णय

दिनांक 25.06.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक का खेत ख०न० 71 रकबा 2.72 है० सरहद मौजा ग्राम हनुतपुरा तहसील मलसीसर में स्थित है जिस पर आवेदक काबिज काश्त है। ग्राम हनुतपुरा में भूमि ख०न० 70/233 रकबा 1.99

५०५

है0 भूमि अनावेदक संख्या 1, ख0न0 21270 रकबा 0.38 है0, ख0न0 72/232 रकबा 1.63 है0 भूमि अनावेदक संख्या 2 लगायत 5, भूमि ख0न0 244/72 रकबा 0.50 है0 भूमि अनावेदक संख्या 6 लगायत 8, भूमि ख0न0 63 रकबा 2.09 है0 अनावेदक संख्या 9 की खातेदारी की भूमि है जिस पर वे काबिज काश्त है। आवेदक अनावेदक संख्या 1 के खेत की दक्षिणी सीमा तथा अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे होकर अनावेदक संख्या 6 लगायत 8 की भूमि में से होते हुये अपने खेत में आवागमन करता है। आवेदक के पास अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता हनुतपुरा से भूमि ख0न0 70/233 में बनी ग्रेवल सड़क से आवेदक के खेत तक जाता है। ख0न0 70/233 में अपनी दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता छोड़कर तारबन्दी कर रखी है। अनावेदकगण 2 लगायत 5 आवेदक को उक्त रास्ते से जाने के लिये मना कर रहे हैं। इसलिये आवेदक उक्त रास्ते को जो नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी, बी से सी तथा सी से डी 4 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी भूमि खेत ख0न0 184 में आने-जाने के लिये अनावेदकगण के खेत ख0न0 70/233 की दक्षिणी सीमा तथा खेत ख0न0 244/72 में से होकर 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकन किया जावे। आवेदक उक्त भूमि के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि से भुगतान करने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 698 दिनांक 16.04.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त भूमि में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" - और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा

के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि -

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 71 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 70/233, 70, 72/232 में से सलंगन नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी, बी से सी, सी से डी तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 71 में आने-जाने के लिये ख0न0 70/233, 70, 72/232 में तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के सलंगन नक्शे में लाल स्याही से अंकित 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 70/233, 70, 72/232 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 70/233, 70, 72/232 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

407

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर